न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 97 / 2018
अनवान : –

प्रद्युम्न सिह पुत्र श्री विरेन्द्र सिह जाति राजपुत निवासी जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. कीर्ती कुमारी पुत्री विरेन्द्रसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर
3. देवकी कुमारी पुत्री विरेन्द्रसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर

प्रतिवादीगण

4. शशी कुमारी पत्नी स्व चन्द्रशेखरसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर
5. किशनगज सिह पुत्र अनिरूद्व सिह उर्फ अभयसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर
6. जन्मेजयसिह पुत्र अनिरूद्वसिह उर्फ अभयसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता प्रतिवादी 1 ,2
पेरोकार राज
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0मु0न0 328 / 405(26) के किला न0 21 , प0न0 मु0न0 327 / 405(27) के किला न0 8 ता 14 ,17 से 24 प0न0मु0न0327 / 406(28) के किला न0 1 से 24 व प0न0 मु0न0 328 / 406(29) के किला न0 1 ,9 से 12 ,16 ता 20 ,22 तथा प0न0 मु0न0 327 / 407(35) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 कुल 14.5730हैक भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि वादी के पिता राव विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज थी वादी के पिता फोत हो चुके है वादी के पिता के जीवनकाल में ही उक्त भूमि में उनके तीनों पुत्रों चन्द्रशेखर सिह , अनिरूद्व सिह व प्रद्युम्नसिह का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा हो चुका था तथा जिनको मृतक राव विरेन्द्रसिह ने भी अपने सिलिग प्रकरण संख्या 594 / 75 अनवानी सरकार [illegible] में स्वीकार किया था तथा इस प्रकरण का अन्तिम निर्णय प्रकरण [illegible] प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महोदय, नोहर द्वारा दिनांक [illegible] पारित किया था [illegible] उक्त भूमि में वादी व उसके भाईयों मृतक चन्द्रशेखर सि[illegible] अनिरूद्व सिह उर्फ[illegible]सिह का उनके पिता राव विरेन्द्रसिह का बहिब हक व हिस्सा मानते हुए प्रत्येक 14.08 बीघा भूमि होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मानी गयी थी लेकिन उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज हरनेक कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

चक 20 जेएसएन की भूमि राव विरेन्द्रसिह के जीवनकाल में ही वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पति व पिता चन्द्रशेखर सिह व अनिरूद्वसिह उर्फ अभयसिह पर विरेन्द्र सिह के साथ जन्म से ही अभयसिह और उनके पिता राव विरेन्द्रसिह प्रत्ये 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो चुके थे विरेन्द्रसिह की मृत्यू के बाद विरेन्द्रसिह की 1/4 हिस्सा भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिससा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/5 हक व हिस्सा है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है मृतक राव विरेन्द्रसिह ने भी अपने जीवनकाल में दिनांक 03.03.204 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थानको एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि में अपने साथ बहिब वादी व मृतक चन्द्रशेखर सिह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 4 व मृतक अनिरूद्व सिह के लडकों प्रतिवादीगण संख्या 5 ,6 के नाम से दर्ज करने का निवेदन किया गया था जिस पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ को पत्रांक 202 दिनांक 10.03.2014 लिख कर उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई कार्यवाही नही की गई।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई बार कहा की चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा यानी 14.5730हैक भूमि में से खाता विभाजन कर 14.08 बीधा भूमि में वादी के नाम से 14.08 बीधा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से व इसीप्रकार से 14.08 बीधा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 5 , 6 के नाम से तथा शेष 14.08 बीधा भूमि वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/5 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा देवे तो लेकिन वो करने से कतई इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण व मृतक राव विरेन्द्रसिह की लिखित स्वीकारोक्ती होने के कारण व सिलिग प्रकरण संख्या 3/1997 के निर्णय दिनांक 27.06. 2000 के अनुसरण में विरेन्द्रसिह के जीवनकाल में ही चार हिस्सेदार खातेदार काश्तकार हो चुके थे इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का समस्त वाद भूमि में हक हिस्सा ना होकर विरेन्द्रसिह के 1/4 हिस्सा भूमि में ही विरास्तन से भूमि में हक हिस्सा बनता है क्योकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 05.09.2005 से पूर्व पुस्तैनी जददी जायजाद कृषि भूमि में पुत्रो का बराबर हक हिस्सा तथा पुत्रीयों का जन्म से हक हिस्सा नही होता था जबकि इस भूमि में तो सन 2005 से पूर्व ही वादी व उसके भाईयों का अपने पिता विरेन्द्र सिह के साथ बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा हो चुका था और ना ही आज तक उक्त भूमि के किसी भी भाग को प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने कभी काश्त ही किया है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विरेन्द्रसिह के 1/4 हिस्सा की भूमि में इनका 1/5 हक व हिस्सा बनता था वह भी वादी व दुसरे प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ,6 के पक्ष में परित्याग किया हुआ माना जावेगा इसलिये अब वाद भूमि में प्रतिवादीयान न 2 ,3 को कोई हक व हिस्सा नही रहा है तथा वादी अपने काश्तकारी हकों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

दावा हाजा से तकसीम खाता का अनुतोष चाहा गया है इसलिये भूमिधारी राजस्थान काश्तकार को जरिये तहसीलदार नोहर को पक्षकार बनाया गया है सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष चाहा गया है इसलिये धारा 80 सीपीसी का नोटिस कानूनन आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद [illegible] जाबे की रोही मौजा चक 20 जेएसएन की कुल 14.5730हैक भूमि [illegible] वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है में वादी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिबादी संख्या 5 ,6 दोनो 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है शेष 1/4 हिस्सा भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा ,

प्रशासनिक अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/ हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही होने पर तर्क किया गया प्रतिवादी संख्या 1 पेश किया की वादी व प्रतिवादीगण के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखतें हुए वाद का निस्तारण फरमावे प्रतिवादी संख्या 2 ,3 , 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वाद भूमि ठा. विरेन्द्रसिह की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी ठा. विरेन्द्रसिह का देहान्त सन 2016 में हुआ था ठा. विरेन्द्रसिह के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का 1/5 हिस्सा है ठा. विरेन्द्रसिह के देहान्त होने के बाद उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत वाद भूमि में उक्तानुसार ही हक हिस्सा बनता है वादी को ठा. विरेन्द्रसिह के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा प्राप्त नही हुआ था जहॉं तक सिलिग प्रकरण का का संबध है सिलिग प्रकरण ठा. विरेन्द्रसिह के विरूद्व चला था सिलिग प्रकरण में कोई हकों का निर्धारण नही हो सकता है महज सिलिग सीमा ही तय की जाती है इसलिये वाद भूमि सही तोर से राजस्व रिकार्ड में ठा. विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है सिलिग प्रकरण में मात्र बालिब पुत्रों को ही पृथक ईकाई मानी जाती थी इसलिये सिलिग निर्णय से पुत्रीयों या अन्य वारिसान के अधिकार समाप्त नही होते है ठा. विरेन्द्रसिह ने अपने जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही हुआ तथा वादग्रस्त भूमि का जबानी तौर पर कोई हिस्सा तय नही किया जा सकता है ना ही कभी ठा विरेन्द्रसिह ने वादग्रस्त भूमि में वादी उसके भाईयों को हिस्सा तय ही किया ठा विरेन्द्रसिह उच्च शिक्षा प्राप्त कानून के जानकार विद्वान व्यक्ति थे यदि वादग्रस्त भूमि वादी या उसके भाईयों को देना चाहते तो उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देते या किसी दस्तावेज के जरिये प्रदार कर देते किन्तु वादग्रस्त भूमि ठा. विरेन्द्रसिह की खातेदारी भूमि थी जो सदा ही राजस्व रिकार्ड में उनके नाम रही वाद सिलिग प्रकरण का सहारा लेकर वाद भूमि प्राप्त करना चाहता है वादभूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में ठा विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है जिनके देहान्त होने के बाद ठा. विरेन्द्रसिह के सभी वारिसान का हक हिस्सा है वादभूमि वाद व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की सयुक्त खाता की भूमि है वादी प्रतिवादीया संख्या 2 ,3 का सगा भाई है प्रतिवादीया संख्या 2 ,3 अविवाहित है तथा अपने पिता ठा . विरेन्द्रसिह के मकान में रहती है वादी अपनी अविवाहित बहनों का हक हिस्सा हडप करना चाहता है अतः वाद भूमि ठा. विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है जिसमें उसके भी वारिसान का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 सयुक्त हक हिस्सा की भूमि है जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण का जबा शामिल मिसल किया गया वादी के वाद एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 के जबाब के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई।

<u>तनकीयात :—</u>

1. आया कि दावा कृत भूमि जिसकी तफसील अर्जीदावा की मद संख्या 2 में दर्ज है ठा. विरेन्द्रसिह की पै[illegible] है व [illegible] प्रकरण में फैसला के मुताबिक इस भूमि में ठा. विरेन्द्रसिह के जीवनक[illegible] उनके साथ में उनके लडकों वादी प्रद्युम्नसिह , चन्द्रशेख[illegible] का बहिस्सा प्रत्येक 1/4 हिस्सा हो चुका था त[illegible] मृत्यु के बाद में उसके 1/4 हिस्सा भूमि में उनके वारीसान लडके व लडक[illegible] का प्रत्येक 1/5 , 1/5 हक व हिस्सा है ।?

वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

2. यह कि मृतक ठा. विरेन्द्रसिह ने भी उक्त तथ्यों को अपनी जीवनकाल मे स्वीकार करते हुए दिनांक 03.03.2014 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निबन्धक को प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि अपने उक्त तीनों पुत्रों के नाम से करने की प्रार्थना की थी जिसका वाद पर क्या असर है।? वादी
3. क्या वादी विवादित भूमि में स्व विरेन्द्रसिह के साथ 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने व विरेन्द्रसिह की 1/4 हिस्सा भूमि में अपना 1/5 हक हिस्सा होने की घोषणा करवा कर इसी अनुसार खाता व लगान विभाजीत करवाने की अधिकारी है।? वादी
4. क्या ठा विरेन्द्रसिह का स्वर्गवास सन 2016 में हो गया था और उसके बाद में विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 समस्त भूमि में अपना 1/5 हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है।? प्रतिवादी
5. क्या वादी ने यह दावा अपनी बहनों प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का हक हडप करने के लिये दावा पेश किया गया है और दावा काबिले खारिजी के है।? प्रतिवादी
6. आया सिलिग प्रकरण में पक्षकारों के हकों का निस्तारण नही होता है ? प्रतिवादी
7. तनकी न0 7 आया दावा पेश करने से पूर्व 80सीपीसी का नोटिस राजस्थान स्टेट को नही दिया गया जिसका वाद पर क्या असर हैं।?
8. तनकी न0 8 आया अर्जीदावा में वादी ने विना मुखस्त में प्रतिवादीगण किस स्थान पर किस तारीख को किस साल में इन्कार हुए और कौन कौन इन्कार हुए दर्ज नही किया जिसका वाद पर क्या असर है।?
9. अन्य दादरसी

तनकीयात कायम होने पर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में वादी स्वय प्रद्यम्नसिह ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादीगण द्वारा की गई और साक्ष्यवादी नही करवाने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये जाकर साक्ष्य प्रतिवादी लिये गये साक्ष्य प्रतिवादी में किर्तीकुमारी प्रतिवादी सख्या 2 ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह वादी करवाई गई और साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0मु0न0 328/405(26) के किला न0 21 , प0न0 मु0न0 327/405(27) के किला न0 8 ता 14 ,17 से 24 प0न0मु0न0327/406(28) के किला न0 1 से 24 व प0न0 मु0न0 328/406(29) के किला न0 1 ,9 से 12 ,16 ता 20 ,22 तथा प0न0 मु0न0 327/407(35) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 कुल 14.5730हैक्ट भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि वादी के पिता राव विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज थी वादी के पिता फोत हो चुके है वादी के पिता के जीवनकाल में ही उक्त भूमि में उनके तीनों पुत्रों चन्द्रशेखर सिह , अनिरूद्व सिह व प्रद्युम्नसिह का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा हो चुका था तथा जिनको मृतक राव विरेन्द्रसिह ने भी अपने सिलिग प्रकरण संख्या 594/75 अनवानी सरकार बनाम राव विरेन्द्रसिह में स्वीकार किया था तथा इस प्रकरण का अन्तिम निर्णय प्रकरण संख्या [illegible] सिलिग प्रधाकारी उपखण्ड अधिकारी महोदय, नोहर द्वारा दिनांक 27.06.2000 [illegible] पारित किया था जिसमें उक्त भूमि में वादी व उसके भाईयों मृतक [illegible] सिह उर्फ अभयसिह का उनके पिता राव विरेन्द्रसिह का [illegible] मानते हुए प्रत्येक 14.08 बीधा भूमि होना मानी गयी थी लेकिन उक्त भूमि राजस्व रि[illegible] में विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज हरनेक कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

चक 20 जेएसएन की भूमि राव विरेन्द्रसिह के जीवनकाल में ही वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पति व पिता चन्द्रशेखर सिह व अनिरूद्वसिह उर्फ अभयसिह पर विरेन्द्र सिह के साथ जन्म से ही अभयसिह और उनके पिता सव विरेन्द्रसिह प्रत्ये 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो चुके थे विरेन्द्रसिह की मृत्यू के बाद विरेन्द्रसिह की 1/4 हिस्सा भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिससा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/5 हक व हिस्सा है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है मृतक राव विरेन्द्रसिह ने भी अपने जीवनकाल में दिनांक 03.03.204 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थानको एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि में अपने साथ बहिब वादी व मृतक चन्द्रशेखर सिह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 4 व मृतक अनिरूद्व सिह के लडकों प्रतिवादीगण संख्या 5 ,6 के नाम से दर्ज करने का निवेदन किया गया था जिस पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को पत्रांक 202 दिनांक 10.03.2014 लिख कर उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई कार्यवाही नही की गई अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 20 जेएसएन की कुल 14.5730हैक भूमि जिसका विवरण वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है में वादी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है शेष 1/4 हिस्सा भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/ हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3, 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा मे अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि ठा. विरेन्द्रसिह की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी ठा. विरेन्द्रसिह का देहान्त सन 2016 में हुआ था ठा. विरेन्द्रसिह के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का 1/5 हिस्सा है ठा. विरेन्द्रसिह के देहान्त होने के बाद उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत वाद भूमि में उक्तानुसार ही हक हिस्सा बनता है वादी को ठा. विरेन्द्रसिह के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा प्राप्त नही हुआ था जहाँ तक सिलिग प्रकरण का का संबध है सिलिग प्रकरण ठा. विरेन्द्रसिह के विरूद्व चला था सिलिग प्रकरण में कोई हकों का निर्धारण नही हो सकता है महज सिलिग सीमा ही तय की जाती है इसलिये वाद भूमि सही तोर से राजस्व रिकार्ड में ठा. विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है सिलिग प्रकरण में मात्र बालिब पुत्रों को ही पृथक ईकाई मानी जाती थी इसलिये सिलिग निर्णय से पुत्रीयों या अन्य वारिसान के अधिकार समाप्त नही होते है ठा. विरेन्द्रसिह ने अपने जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही हुआ तथा वादग्रस्त भूमि का जबानी तौर पर कोई हिस्सा तय नही किया जा सकता है ना ही कभी ठा विरेन्द्रसिह ने वादग्रस्त भूमि में वादी उसके भाईयों को हिस्सा तय ही किया ठा विरेन्द्रसिह उच्च शिक्षा प्राप्त कानून के जानकार विद्वान व्यक्ति थे यदि वादग्रस्त भूमि वादी या उसके भाईयों को देना चाहते तो उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देते या किसी दस्तातवेज के जरिये प्रदार कर देते किन्तु वादग्रस्त भूमि ठा. विरेन्द्रसिह की खातेदारी भूमि थी जो सदा ही राजस्व रिकार्ड में उनके नाम रही वाद सिलिग प्रकरण का सहारा लेकर वाद भूमि प्राप्त करना चाहता है वादभूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में ठा विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है जिसके देहान्त होने के बाद ठा. विरेन्द्रसिह के सभी वारिसान का हक हिस्सा है वादभूमि वाद व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की सयुक्त खाता की भूमि है वादी प्रतिवादीया संख्या 2 ,3 [illegible] प्रतिवादीया संख्या 2 ,3 अविवाहित है तथा अपने पिता ठा . विरेन्द्रसिह के [illegible] रहती है वादी अपनी अविवाहित बहनों का हक हिस्सा हडप करना चाहता है अतः वादभूमि ठा. विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है जिसमें उसके भी वारिसान का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6 सयुक्त हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादीगण के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया जाकर तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से हैः–

तनकी न0 1 आया कि दावा कृत भूमि जिसकी तफसील अर्जीदावा की मद संख्या 2 में दर्ज है ठा. विरेन्द्रसिह की पैतृक सम्पति है व सिलिग प्रकरण में फैसला के मुताबिक इस भूमि में ठा. विरेन्द्रसिह के जीवनकाल में ही उनके साथ में उनके लडकों वादी प्रद्युम्नसिह , चन्द्रशेखर , अनिरूधसिह उर्फ अभयसिह का बहिस्सा प्रत्येक 1/4 हिस्सा हो चुका था तथा ठा. विरेन्द्रसिह की मृत्यु के बाद में उसके 1/4 हिस्सा भूमि में उनके वारीसान लडके व लडकीयों का प्रत्येक 1/5 , 1/5 हक व हिस्सा है ।?

तनकी न0 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने तनकी न0 1 के समर्थन में नकल जमाबन्दी रोही मौजा चक 20 जेएसएन सम्वत 2072 से 2075 ईएक्सीपी– 1 , चित्रप्रतिलिपी अर्द्व शासकिय पत्र अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर दिनांक 10.03.2014 व चित्रप्रतिलिपी प्रार्थना पत्र ठा. राव विरेन्द्रसिह दिनांक 03.03.2014 नकल निर्णय दिनांक 27.06.2000 प्रकरण संख्या 03/1997 अनवानी सरकार बनाम विरेन्द्रसिह ईएक्सपी– 2 पेश की गई

वादी का कथन है वाद भूमि में वादी एव उसके भाईयों चन्द्रशेखर एव अनिरूधसिह उर्फ अभयसिह एव उनके पिता ठा. राव विरेन्द्रसिह के हकों का निर्धारण कर दिया गया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में हकों के अनुसार भूमि दर्ज ना होकर वादी के पिता ठा. विरेन्द्रसिह के नाम ही दर्ज रही जिसे वादी अब अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का कथन है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ठा. राव विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 2, 3 के कथन एक दुसरे के विरोधाभाषी है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार ठा. राव विरेन्द्रसिह के पूर्वज जागीरदार थे जिनके कब्जा काश्त में वाद भूमि के अलावा अन्य भूमिया भी थी जिन्हे वे काश्त करते या करवाते आ रहे थे सिलिग एक्ट प्रभाव में आने पर सिलिग एक्ट 1973 के तहत ठा राव विरेन्द्रसिह की भूमियों पर सिलिग एक्ट के तहत कार्यवाही आरम्भ की गई जिसमें विधिवत सुनवाई की जाकर विस्तृत निर्णय पारित किया गया विभिन्न राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन रहने के उपरान्त अन्तिम निर्णय हेतु सिलिग प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में विचाराधीन रहा था।

सिलिग प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर ने सिलिग प्रकरण संख्या 3/1997 अनवानी सरकार बनाम ठा. राव विरेन्द्रसिह अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा [illegible] 1973 के तहत विचाराधीन प्रकरण में निर्णय दिनांक 27.06.2000 को नि[illegible] किया गया जिसके विवेचन /निर्धारण में उल्लेखित किया [illegible] ठा. राव विरेन्द्रसिह के बालिग पुत्रों श्री चन्द्रशेखरसि[illegible] उर्फ अभयसिह व प्रद्युम्नसिह की तीन पृथक ईकाईयों को एव अप्रार्थी की मु[illegible]ईकाईयों में से कुल 57.12 बीधा वाद भूमि चक 20 जेएसएन की भूमि मुल ईकाई के साथ चयन ऑपसन में कल्ब के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

छोडी जाती है या छोडी गई है एव सिलिग से मुक्त रखी जाकर छोडी जाती है अर्थात ठा. राव विरेन्द्रसिह एव उनके तीन पुत्रों के नाम रोही मौजा चक 20 जेएसएन की जो वाद भूमि का निर्धारण किया जाकर छोडा गया था सिलिग प्राधकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा उक्त सिलिग प्रकरण संख्या 3/1997 का निर्णय दिनांक 27.06.2000 को करने के उपरान्त निर्णय में वर्णित उक्त चक 20 जेएसएन की भूमि को ठा. राव विरेन्द्रसिह एवं उसके तीनों पुत्रों के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जाना चाहिये था क्योकि सिलिग प्रकरण संख्या 3/1997 में ठा. विरेन्द्रसिह एवं उनके पत्रों के हकों का निर्धारण किया जाकर कल्ब में भूमि उनके नाम छोडी जाकर शेष भूमि को अवाप्त कर लिया गया था हकों के निर्धारण अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के वादी अधिकारी भी थे।

प्रतिवादी संख्या 1 का दायित्व था कि प्रकरण संख्या 3/1997 अनवानी सरकार बनाम ठा राव विरेन्द्र सिह में सिलिग प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2000 की पालना में अवाप्त की गई भूमिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी तो निर्णय में ठा. विरेन्द्रसिह एव उनके पुत्रों के हकों का निर्धारण की गई भूमि भी उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी चाहिये थी जो नही की गई जो विधि विरूद्व है यदि तहसीलदार के द्वारा उक्त निर्णय की पालना में भूमिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती तो यह वाद प्रस्तुत करने की नोबत नही आती है राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नही होने के कारण ही हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है।

ठा राव विरेन्द्रसिह ने अपने जीवन काल में एक प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का इस आश्य का पेश किया गया की सिलग प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 3/1997 अनवानी सरकार बनाम ठा. राव विरेन्द्रसिह में दिनांक 27.06.2000 को पारित निर्णय की पालना में प्रार्थी एव उसके तीनों पुत्रों की भिन्न ईकाईयों क नम 57.12 बीधा भूमि रोही मौजा चक 20 जेएसएन में प्रार्थी के साथ शामिल खाते में छोडी गई थी दर्ज किया जावे उक्त सिलिग प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार प्रार्थी अपनी प्राईमरी यूनिट में छोडी गई थी उक्त निर्णय की पालना में मेरी खातेदारी भूमि 57.12 बीधा रोही मौजा चक 20 जेएसएन में तीनों पुत्रान के सेपरेट यूनीटस को मंजुर की गई 14.8 बीधा प्रत्येक भिन्न ईकाई की भूमि का नामान्तकरण भी मेरे नाम के साथ मेरे पुत्रों का नाम भी शामिल खाते में दर्ज फरमाया जावे। प्रार्थी ठा. विरेन्द्रसिह के प्रार्थना पत्र पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा आदेश पारित किया गया था की सिलिग प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार भिन्न ईकाई /सेपरेट युनिट की भूमि जो ठा. विरेन्द्रसिह के साथ उसके तीनों पुत्रों की छोडी गई थी को ठा. विरेन्द्रसिह के साथ उनके तीनों पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे जिस पर किसी प्रकार कोई कार्यवाही होना पत्रावली पर नही है जिसके कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में समस्त भूमि ठा. राव विरेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादी के पिता ठा. विरेन्द्रसिह जागीरदार से जिनके विरूद्व सिलिग एक्ट के तहत कार्यवाही चली थी जो विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन रहने के उपरान्त रिमाण्ड होकर अन्तिम निर्णय हेतु सिलिग प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 03/1997 अनवानी सरकार बनाम ठा. विरेन्द्र सिह विचाराधीन रही थी जिसमें विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 27.06.2000 को निर्णय पारित किया गया था जिसमे रोही मौजा चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा वाद भूमि ठा. विरेन्द्रसिह एवं उनके तीनों पुत्रों चन्द्रशेखरसिह , अ द्वसिह उर्फ अभयसिह व प्रद्यम्नसिह मुल ईकाई के साथ छोडी गई थी अर्थात उक्त भूमि के ठा. राव विरेन्द्रसिह एव उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

तीनों पुत्र प्रत्येक 1/4 हिस्सा के सयुक्त खातेदार काश्तकार मानकर छोडी गई थी जिसे राजस्व रिकार्ड में उक्त चारों के नाम से दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही किया गया जिसे वादी अब उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो न्यायोचित है एव उक्त निर्णय की अनुपालना में आज भी उक्तानुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः तनकी न0 1 साक्ष्य सबतों के आधार पर एव पूर्व निर्णय दिनांक 27.06.2000 की अनुपालना में भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी पाये जाने के कारण तनकी न0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 2 – यह कि मृतक ठा. विरेन्द्रसिह ने भी उक्त तथ्यों को अपनी जीवनकाल मे स्वीकार करते हुए दिनांक 03.03.2014 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निबन्धक को प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि अपने उक्त तीनों पुत्रों के नाम से करने की प्रार्थना की थी जिसका वाद पर क्या असर है।? वादी

तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादी पर था तनकी न0 1 में विवेचन किय जा चुका है कि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत सिलिग प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 3/1997 जिसमें दिनांक 27.06.2000 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया था में वादी के हकों का निर्धारण किया गया था जिसके अनुसार भूमि प्रार्थी स्वय ठा. राव विरेन्द्रसिह के था उसके तीनों पुत्रों के नाम रोही मोजा चक 20 जेएसएन की 57.12 बीघा भूमि सयुक्त तौर से दर्ज नही हुई जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष द्वारा आदेश भी पारित किया गया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि आदिनांक तक दर्ज नही हो पाई है जो न्यायोचित नही है।

रोही मौजा चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा भूमि सिलिग प्रकरण संख्या 3/1997 में ठा. राव विरेन्द्रसिह एवं उसके तीनों पुत्रों की सयुक्त तौर से भिन्न ईकाई मानते हुए छोडी गई थी वाद भूमि में ठा. राव विरेन्द्रसिह की पुत्रीयों को कोई हक हिस्सा नही माना गया था किन्तु सिलिग प्रकरण संख्या 03/1997 में पारित निर्णय का आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने पर प्रार्थी ठा. विरेन्द्रसिह ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।

ठा. राव विरेन्द्रसिह स्वय के द्वारा प्रार्थना पत्र विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रत्येक पहलु का अंकन किया गया है अर्थात ठा. राव विरेन्द्रसिह स्वय चाहते थे की निर्णय में किये गये विवेचन के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में उसके साथ उनके पुत्रों को बराबर दर्ज किया जावे अर्थात रोही मोजा चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा भूमि ठा. विरेन्द्रसिह एव उसके तीनों पुत्रों के हक हिस्सा की भूमि थी जिसे मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नही होने पर वादी ने अपने हकों के निर्धारण के लिये हस्तगत वाद पेश किया गया है। अतः तनकी न0 2 भी वाद के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 3 – क्या वादी [illegible] विरेन्द्रसिह के साथ 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने व विरेन्द्रसिह की 1/4 हि[illegible] में अपना 1/5 हक हिस्सा होने की घोषणा करवा कर इसी अ[illegible] करवाने की अधिकारी है।? वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न0 3 को साबित करने [illegible] भार वादी पर था तनकी न0 1 व 2 में विवेचन किया जा चुका है कि सिलिग प्रकरण संख्या 03/1997 अनवानी सरकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बनाम ठा. राव विरेन्द्रसिह में सिलिग प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 27.06.2000 को पारित निर्णय में ठा. राव विरेन्द्रसिह की भूमियों का निर्धारण किया गया था जिसमें रोही मौजा चक 20 जेएसएन की कुल 57.12 बीधा वाद भूमि ठा. राव विरेन्द्रसिह एव उसके तीनों पुत्रों चन्द्रशेखर , अनिरूद्वसिह उर्फ अभसिह , प्रद्यम्नसिह की भिन्न ईकाई मानी गई थी अर्थात उक्त भूमि के चारो हकदार थे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज करवाने के अधिकारी थे उक्त भूमि में ठा. राव विरेन्द्रसिह की पुत्रीयों को कोई हक हिस्सा नही माना गया था।

ठा. राव विरेन्द्रसिह का देहान्त हो चुका है जिसके सम्बध में उभयपक्षों को कोई प्रतिरोध या आक्षेप नही है ठा. राव विरेन्द्रसिह के पुत्र चन्द्रशेखर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसा उसकी धर्मपत्नि शशिकुमारी प्रतिवीद संख्या 4 है इसी प्रकार ठा. राव विरेन्द्रसिह के पुत्र अनिरूद्व उर्फ अभयसिह का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 5 ,6 है इसप्रकार ठा. राव विरेन्द्रसिह के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 3 ,4 ता 6 है जिसके सम्बध में उभयपक्षो का कोई ऐतराज नही है।

रोही मौजा चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा वाद भूमि सिलिग प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार ठा. राव विरेन्द्रसिह एवं उसके तीनों पुत्रों के हक हिस्सा की भूमि मानी जा चुकी है मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई है राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नही होने से हक समाप्त नही हो जाते है वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा भूमि में ठा. विरेन्द्रसिह एव उसके तीनों पुत्र चन्द्रशेखर , अनिरूद्व उर्फ अभयसिह एव प्रद्युम्नसिह बहिब के हकदार थे ठा. रावविरेन्द्रसिह एव उसके पुत्र चन्द्रशेखर एव अनिरूद्व उर्फ अभयसिह के देहान्त होने के बाद वाद भूमि रोही मौजा चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा यानि कुल 14.5730हैक भूमि में वादी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है शेष 1/4 हिस्सा भूमि जो ठा. विरेन्द्रसिह के हिस्से की थी में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/ हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के उपरान्त अपने हक हिस्सा के अनुसार ही खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी है अतः तनकी न0 3 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण तनकी न0 3 वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

<u>तनकी न0 4 ठा. राव विरेन्द्रसिह का स्वर्गवास सन 2016 में हो गया थ और उसके बाद में विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 समस्त भूमि में अपना 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।</u>

तनकी न0 4 का साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी का कथन है कि ठा. विरेन्द्रसिह का देहान्त होने पर ठा. विरेन्द्रसिह के नाम दर्ज भूमि का विरास्तन से समस्त 57.12 बीधा भूमि में 1/5 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रतिवादी का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि ठा. राव विरेन्द्रसिह के नाम दर्ज भूमियों के सम्बध में सिलिग प्रकरण विचाराधीन रहा है राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरो[illegible]नियम 1973 के ठा. राव विरेन्द्रसिह के नाम दर्ज भूमियों का [illegible] पारित किये गये थे सिलिग प्रकरण संख्या 03/[illegible] 27.06.2000 को निर्णय पारित किया गया था में स्पष्ट उल्लेखित/निर्धारण कि[illegible]गया है कि रोही मौज चक 20 जेएसएन की 57.12 बीधा वाद भूमि में ठा. विरेन्द्रसिह एव उसके तीन पुत्रों के हक हिस्सा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि है जिनमें ठा. राव विरेन्द्रसिंह की पुत्रीयों को कोई हक हिस्सा नही है का निर्धारण किया जा चुका है अर्थात उक्त 57.12 बीघा भूमि में ठा. राव विरेन्द्रसिह का 1/4 हिस्सा है ठा. राव विरेन्द्रसिह के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 , 3 ठा. विरेन्द्रसिह के हक हिस्सा की 1/4 हिस्सा भूमि में ही 1/5 हिस्सा भूमि विरास्तन से प्राप्त करने की अधिकारी है शेष भूमि उनके भाईयों के हक हिस्सा की भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ,3 किसी प्रकार के हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है विस्तृत विवेचन तनकी न0 1 ,2 में किया जा चुका है अतः तनकी न0 4 प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 5 क्या वादी ने यह वाद अपनी बहनों प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का हक हडप करने के लिये वाद पेश किया गया है दावा काबिले खारिजी के है।? प्रतिवादी

तनकी न0 5 का साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 ,3 पर था प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित करने के लिये ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे साबित हो की वादी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा को हडप करना चाहते है बल्की तनकी न0 1 ,2 , 3 मे साबित हो चुका है वादी अपने हकों के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा जो ठा. राव विरेन्द्रसिह के देहान्त होने पर उनके हक हिस्सा की 1/4 हिस्सा भूमि में विरास्तन से बनता है के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है तनकी न0 5 प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 6 आया सिलिग प्रकरण में पक्षकारों के हकों का निस्तारण /निर्धारण नही तो है।? प्रतिवादी

तनकी न0 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 ,3 पर था प्रतिवादी ने तनकी न0 6 को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य पेश नही किये जबकि उपरोक्त तनकीयात में साबित हो चुका है कि सिलिग प्रकरण में वादी एव प्रतिवादी के पूर्वज ठा. विरेन्द्रसिह जो एक जागीरदार थे सिलिग सीमा अधिरोपण अधिनियम के तहत कितनी भूमि रखने के अधिकारी थे का निर्धारण किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है ठा. विरेन्द्रसिह के विरूद्व सिलिग प्रकरण विचाराधीन रहा था जिसमें भी निर्धारण किया गया था कि कोनसी भूमि ठा. राव विरेन्द्रसिह एव उसका परिवार रखने का पात्र है अतः तनकी न0 6 प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 7 आया दावा पेश करने से पूर्व 80सीपीसी का नोटिस राजस्थान स्टेट को नही दिया गया जिसका वाद पर क्या असर है।? वादी

तनकी न0 8 आया अर्जीदावा में वादी ने विना मुखस्त में प्रतिवादीगण किस स्थान पर किस तारीख को किस साल में इन्कार हुए और कौन कौन इन्कार हुए दर्ज नही किया जिसका वाद पर क्या असर है

उक्त दोनो तनकीयात में 80 सीपीसी का नोटिस नही देने से राज्य हकों पर कोई प्रभाव नही होता ना ही राज्यपक्ष को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है वाद में मुख्य वादी ने अपने हकों के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का है तथा प्रतिवादीगण किस साल एव कहाँ पर ऐतराज ... नही है मुख्य बिन्दु यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने वादी के ... इन्कार किया गया है जो प्रस्तुत जबाब दावा से साबित है तनकी न0 7 ,8 से वाद के अनुतोष पर कोई प्रभाव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से साबित हो चुका है रोही मौजा चक 20 जेएसएन की वाद भूमि 57.12 बीघा भूमि सिलिग प्रकरण संख्या 3/1997 अनवानी सरकार बनाम ठा. राव विरेन्द्रसिह में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 27.06.2000 के अनुसार ठा. राव विरेन्द्रसिह एव उसके तीनों पुत्र चन्द्रशेखर , अनिरूद्व उर्फ अभयसिह , प्रद्युम्नसिह के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी थे किन्त वर्तमान में भूमि ठा. राव विरेन्द्रसिह के नाम से ही दर्ज है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

ठा. राव विरेन्द्रसिह का देहान्त हो चुका है ठा. राव विरेन्द्रसिह के पुत्र चन्द्रशेखर का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस उसकी धर्मपत्नि शशिकुमारी प्रतिवीद संख्या 4 है इसी प्रकार ठा. राव विरेन्द्रसिह के पुत्र अनिरूद्व उर्फ अभयसिह का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 5 ,6 है अर्थात ठा. राव विरेन्द्रसिह एव उनके पुत्रों के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 3 ,4 ता 6 है।

तनकीयात के विवेचन अनुसार एव पूर्व में पारित निर्णय अनुसार रोही मौजा चक 20 जेएसएन के 130/118 की कुल 57.12 यानि 14.5730हैक भूमि में ठा. विरेन्द्रसिह 1/4 हिस्सा भूमि का हकदार है शेष भूमि ठा. विरेन्द्रसिह के तीनों पुत्र प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि के हकदार है।

ठा. राव विरेन्द्रसिह एव उनके पुत्रों के देहान्त होने के बाद वाद भूमि रोही मोजा चक 20 जेएसएन की कुल 14.5730हैक भूमि में वादी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो 1/4 हिस्सा के तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि जो ठा. विरेन्द्रसिह के हिस्से की थी में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/ हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं पूर्व में पारित निर्णयों की अनुपालना में साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 130/118 की कुल 14.5730हैक भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि जो ठा. विरेन्द्रसिह के हिस्से की थी में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ठा. राव विरेन्द्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन जावे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
अनवान : –

1. प्रद्युम्न सिह पुत्र श्री विरेन्द्र सिह जाति राजपुत निवासी जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर

– वादी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. कीर्ती कुमारी पुत्री विरेन्द्रसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर
3. देवकी कुमारी पुत्री विरेन्द्रसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर

प्रतिवादीगण

4. शशी कुमारी पत्नी स्व चन्द्रशेखरसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर
5. किशनगज सिह पुत्र अनिरूद्व सिह उर्फ अभयसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर
6. जन्मेजयसिह पुत्र अनिरूद्वसिह उर्फ अभयसिह जाति राजपुत साकिन जसाना हाल आबाद जसाना हाउस 91 बी गोपालबाडी , अजमेर रोड, जयपुर

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 97 सन 2018 निर्णय दिनांक –02/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी व प्रतिवादी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी का वाद साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 130/118 की कुल 14.5730हैक भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि जो ठा. विरेन्द्रसिह के हिस्से की थी में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 दोनो का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ठा. राव विरेन्द्रसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन जावे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:37:07 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर